




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0  
वाद सं..... 44/2025 दायरा दिनांक : 17/03/2025  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

श्रीमन्माल श. मांसीलाल मेघवाल क. लोरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही या मय इनिषियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
17/3/25	<p>न्यायालय हाजा में वादी/प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो।</p> <p> 17/3/25</p>	
21/3/25	<p>पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। वादी/प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लोरी की जमाबंदी सं. 2575-18 व तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी/प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। तहसीलदार पिडावा को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p> <p> 21/3/25</p> <p>(दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा</p>	

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशीदार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/143

दिनांक: 21/3/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षण अनुसार ग्राम..... को दादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट साक्षर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
21/3/25

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज०

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/44

दिनांक: 21.3.25

दादी/प्राथी के ग्राम..... को राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार..... की सवत जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार..... को आदेशित किया जाता है कि दादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करें।



21/3/25  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला झालावाड (रज०)